



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल adrhanumangarh@gmail.com

क्रमांक :- रथा./विज्ञप्ति/2025-26/ 2760

दिनांक :- 15⁰⁵
2025

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 8818 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के अधीनस्थ कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, हनुमानगढ़ हेतु निम्न पूर्णतया अस्थायी संविदा पदों हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं -

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	मासिक देय मानदेय/पारिश्रमिक (रूपयों में)
1	ऑफिस असिस्टेंट	3	14000/-
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	14000/-
3	ऑफिस पिओन	3	11000/-
	कुल योग	7	

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 20.05.2025 को कार्यालय समय 12:00 बजे तक जरिये ई-मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। यह भर्ती पूर्णतया अस्थायी रूप से अनुबंध के आधार पर Legal Aid Defense Counsel Scheme 2022 के अनुसार की जा रही है।


सचिव

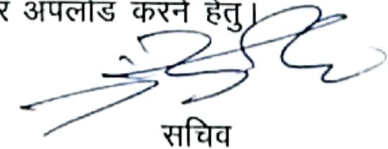
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़

क्रमांक - 2761-68

दिनांक - 15⁰⁵
2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त तालुका जिला हनुमानगढ़।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़ को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. जिला नियोजन अधिकारी, हनुमानगढ़।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़

फोन नं. 01552-294199 ई-मेल adrhanumangarh@gmail.com

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु :- वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :-
9. अनुभव :-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैंड वेतन, ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)





कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल adrhanumangarh@gmail.com

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्वधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्वधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल adrhanumangarh@gmail.com

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती
.. पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व
... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती
..... रुपये
मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती
के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आंपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील